परिशिष्ट - अ [21/3/2018]

251

विषय : एफ 3-6/2017/50-2

छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

## मंत्रि-परिषद् आदेश

**आयटम क्रमांक 31 दिनांक 14 नवम्बर, 2017**

**विषय:-** **प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं की ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं सबला योजनान्तर्गत किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन प्रदाय के संबंध में**

**निर्णय:-** निर्णय लिया गया कि-

1. टेकहोम राशन की नवीन व्यवस्था के लिए स्व-सहायता समूहों/स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन हेतु पारदर्शी टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जावे। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं भारत सरकार, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. टी.एच.आर. उत्पादन एवं प्रदायगी की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण जिला अथवा जिलों के समूह स्तर तक साध्यता के आधार पर किया जावे।
3. स्व-सहायता समूह/स्व-सहायता समूहों का फेडरेशन, जो उत्पादन एवं प्रदायगी में रूचि रखते हैं, को टेण्डर में भाग लेने की पात्रता होगी।
4. चयनित स्व-सहायता समूह/स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित भी किया जावे। साथ ही आवश्यकता पडने पर तकनीकी एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग (फेसिलिटेशन) किया जावे।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

232



विषय:- प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं की ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं सबला योजनान्तर्गत किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन प्रदाय के संबंध में

पूर्व पृष्ठ से:-

5. मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा वर्तमान में भोपाल संभाग के भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ एवं विदिशा जिलों की परियोजनाओं में टेकहोम राशन एवं स्वयं के बाड़ी स्थित संयंत्र से किया जा रहा है के दृष्टिगत मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन टेकहोम राशन के स्वयं के बाड़ी संयंत्र की क्षमता अनुसार विद्यमान भोपाल संभाग के समस्त जिलों भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ एवं विदिशा में टेकहोम राशन प्रदाय हेतु आरक्षित किया जावे।

6. अगर प्रथम टेण्डर में योग्य स्व-सहायता समूह/स्व-सहायता समूहों का फेडरेशन उपलब्ध न हो तो अन्य विकल्पों पर विचार किया जावे।

7. जारी होने वाले टेण्डर में प्रावधान किया जावे कि टेण्डर प्रक्रिया अवधि में यदि भारत सरकार द्वारा किसी नवीन नीति का निर्धारण किया जावे, तो शर्तों में तदनुसार बदलाव किया जावेगा।

अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

शाकेमुभो—93—उनिशाकेमुभो—11-5-12—12,00,000.

(233)

57

कास-२ सचिवालय

विषय :

का विभाग

विषय:- प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं की ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं सबला योजनान्तर्गत किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन प्रदाय के संबंध में

पूर्व पृष्ठ से:-

8. स्व-सहायता समूहों की भागीदारी होने तक पोषण आहार की आपूर्ति पूर्वानुसार सुनिश्चित की जावे। यह सुनिश्चित किया जावे कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों को उच्च गुणवत्ता के पूरक पोषण आहार की व्यवस्था निरन्तर बनी रहे।

मुख्य सचिव का निजी ...
पं. क्र. 1587-17/मु.स./
तारीख 17/11/17

(बसंत प्रताप सिंह)
मुख्य सचिव,

प्रमुख सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग

D.S.

17/11/17
5.30 PM

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

3469
17/11/17